रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1959] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939
No. 1959] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

का.आ. 2200(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1361 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा जाती है, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और उक्त राजपत्र की प्रतियां 26 अप्रैल, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युन्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार कर लिया था;

और, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, बिहार राज्य के गया जिले में और झारखंड राज्य के कोडरमा और छत्रा जिले में स्थित है, यह 259.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में (138.33 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य के गया जिले में जिसके विस्तार और सीमा अक्षांश-देशांतर निर्देशांकों को उपाबंध II के रुप में उपाबद्ध है);

और, वन्यजीव अभयारण्य दो राज्यों झारखण्ड और बिहार के बीच का क्षेत्र संलग्न होने के कारण झारखण्ड राज्य के लिए ऐसे पारिस्थितिक संवेदी जोन का प्रस्ताव करना आपेक्षित होगा जिसकी बिहार राज्य द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र तक है ;

और, उनका पारिस्थितिक महत्व है तथा वन्यजीव के लिए जाने जाते है; वनस्पति और जीवजंतु इस अभयारण्य के समृद्ध जैविक महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं;

और, यह अभयारण्य में तेंदुआ (*पेन्थेरा लियो*), रीछ (*मेलुरस अरसिनस*), चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर (*करवोअस यूनीकोलर*), मुंजक (*मुंटीकस मुंटजैक*), नीलगाय (*बोसलाफस ट्रागोकैमेलस*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), लकड़बग्घा (*हायनीडाय स्पा.*), लोमडी (*वल्पस वल्पस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), भेडिया (*केनिस ल्युपस*), जंगल मुर्गी (*गैलस गैलस*), अजगर (*पैथोनीडाय*) आदि संकटापन्न प्रजातियों का निवास स्थान है ;

अभयारण्य के महत्वपूर्ण वनस्पतियों में खैर (*अकाकिया कैटेचु*), बेल (*एंगल मर्मोल्स*), काली सिरीस (*अल्बिज़िया लीब्बेक*), पेयर (*बौहिनिया रेसमोसा*), पलास (*ब्यूईया मोनोस्पर्म*), अमलतास (*कैसिया फिसटुला*), ब्लैक सिसो (*डाल्बर्गिया*

लैटिफ़ोलिया), पेकपाल (*फिकस बेंगलेंसिस*), कांकर (*गरुगा पिन्नता*), रोहिणी (*मल्लोटस फिलीपींसिस*), टिकुल (*मित्रग्या पैरिफोलिया*), करंज (*पोंगामिया पिन्नता*), कैल (*शोरिया रोबस्टा*), अर्जुन (*टर्मिनलिया अर्जुन*), बाहेरा (*टर्मिनलिया बेल्लारीका*), असन (*टर्मिनलिया टोमेंटोसा*), जंगली खजूर (*फीनिक्स एपोलिस*), सिंदवार (*विटेक्स नेगुंडो*), धतुरा (*धतुरा मेटेल*), शातवार (*असपरागस रेसमोसस*) सम्मिलित हैं।

और, संरक्षित क्षेत्र गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारो ओर का शून्य से 4.0 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्र का विस्तार बिहार राज्य के गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 4.0 किलोमीटर तक 149.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) बिहार राज्य में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध II क** और **उपाबंध II ख** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थित चारों ओर 37 ग्रामों की सूची **उपाबंध III क** के रूप में उपाबद्ध है और इस क्षेत्र के विवरण के साथ अभयारण्य के 20 एन्क्लेव ग्रामों सहित 57 ग्रामों की सूची **उपाबंध III ख** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति से तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के भी, यदि कोई हों, अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समेकित करने के लिए सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) पशु और मत्स्य संसाधन;

(ix) जल संसाधन (सिंचाई);

(x) लोक निर्माण (सड़क निर्माण); और

(xi) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न किया जाए आंचलिक महायोजना में अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और उक्त महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों को और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल बनाने संम्बधी सुधार लाने के लिए मुख्य कारक होगा का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) राज्य सरकार, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-दक्षिणी के दिशा में संरक्षित क्षेत्र से सटे खानों के नवीकरण की अनुमति नहीं देगी और जैव-विविधता पार्क के विकास के लिए योजना बना करेगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनो के लिए पार्कों और अभिनिश्चित खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या मुख्य आवासीय परिसर या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा या नहीं उनके क्षेत्रों का संपरिवर्तित किया जाएगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न, प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधि स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा और यथा लागू केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे अन्य नियम विनियमों तथा अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अनुज्ञात किया जा सकेगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग सुविधाज भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 7के अधीन दिए गए क्रिया कलाप:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

IndiaCode

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपदर्शित कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ग) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों या उनके निकट विकास सम्बधी क्रियाकलापों को, जो ऐसे क्षेत्रो के लिए हानिकारक है प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन–** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिक-पर्यटन महायोजना पर्यावरण और वन के राज्य विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, को होटलों और रिसोर्टों के किसी नवीन संन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों तथा रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और अभ्यांकन क्षेत्र में ही अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन सम्बधी क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी(समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन सम्बधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते किया जाएगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर पारिस्थितिक संवेदी जोन में द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल / रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण से संरक्षण और नियंत्रण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन विरचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण से संरक्षण और निपटान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपाल्य किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए मानको के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदुषणो के बहिष्चाव के साधारण मानको के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबन्ध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा;

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन**.- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और ऐसे समय तक जब तक आंचलिक महायोजना के तैयार होती है और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटरी करेगी ।

(12) **यानीय प्रदूषण:-** यानीय प्रदुषण का निवारण और निपटान लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशा मार्गदर्शक सिद्धांन्तों में उद्योगो के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप.- पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और उसमें किए गए संशोधनों सहित अन्य लागू विधियों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, ईंट-भट्ठा, मिट्टी खुदाई, रेत खनन और कुचल इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय, जिसके अंतर्गत गृह निर्माण और मरम्मत तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए देशी टाइल्स या ईटों के निर्माण हेतु भूमि की खुदाई भी हैसभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयों का प्रतिषिद्ध होगा (ख) खनन संक्रियाएं, का प्रचालन 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार किया जाएगा ।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नवीन प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग या उसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) वर्गीकरण में हरित या श्वेत कृषि के रूप वर्गीकृत उद्योगों को जिनके अंन्तर्गत कृषि आधारित लघु उद्योग भी है विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
4.	नई प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
5.	यांत्रिक साधनों द्वारा मछली पकडना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
6.	प्राकृतिक ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	स्थानीय निवासियों की वास्तविक आवश्यकताओं के सिवाय 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
8.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगें ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

10.	फर्मों, निगमों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	विनियमित क्रियाकलाप	
11.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पश्चात या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकटतम हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा ।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को संनिर्माण उपविधियों के अनुसार पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर के पश्चात उसे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित किया जाएगा।
13.	अभयारण्य और उसके पारिस्थितिक संवेदी जोन में से भारतीय रेलवे के समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के नवीन रेलट्रक का संनिर्माण और प्रचालन ।	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 के अधीन अनुमतियों पर आश्मित होगा और इसके अधीन अधिरोपित प्रतीकारात्मक उपायों और शर्तो को पूरा करने के अध्ययधीन होगा।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या ऐसे कृषि आधारित उद्योग जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से नये देशज सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करते है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुज्ञात होंगे ।
15.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों हेतु पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे तम्बु, लकड़ी के आवास आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	प्लास्टिक बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या

		सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियमों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
24.	रोपवे का संनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
26.	सुरक्षा कैंप की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धातों के अनुसार मापदण्डो को पूरा करने के पश्चात किए जाएगे।
28.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी संपत्तियों में काटेदार बाड नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया जाएगा) ।
29.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के ऊपर से उड़ना जैसे अन्य क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
33.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
34.	प्रवासी चरागाह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
35.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	सभी कार्यकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि/वन/ आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	जल संरक्षण उपाय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबन्धों को प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	संबंधित प्रभागीय आयुक्त	- अध्यक्ष ;
(ii)	बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	- सदस्य ;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला (पर्यावरण के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है, कार्य करने वाला) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	-सदस्य ;
(iv)	राजस्व विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य ;
(v)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य ;
(vi)	पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य ;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य;
(viii)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	- सदस्य;
(ix)	प्रभागीय वन अधिकारी, गया (वन्यजीव वार्डन आई/सी, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य) -	-सदस्य-सचिव ।

6.निर्देश निबंधन:(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(3) ऐसे क्रियाकलापों का, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित है और पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते है, इसके पैरा 4 के अधीन सारणी स्तभं (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किए जाएगे ।

(4) ऐसे क्रियाकलाप की जो, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते है किंतु जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी स्तभं(3) में यथाविनिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या सम्बद्ध पार्क कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य सरकार में के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में संलग्न रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ऐसे अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

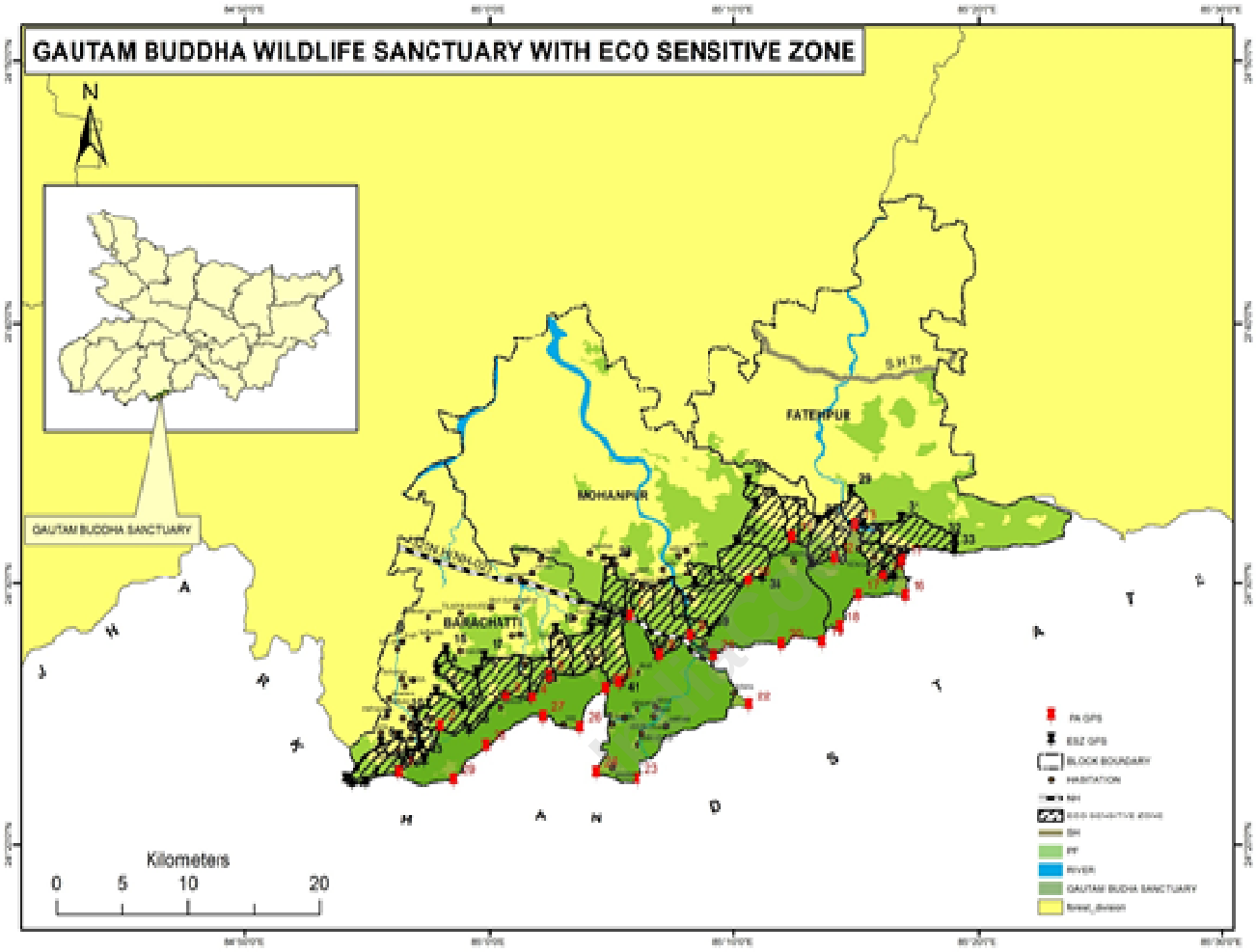
8. इस अधिसूचना के उपबन्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन, होंगे ।

[फा. सं. 25/199/2015- ईएसजेड -आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध II-क

क. गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गया, बिहार की सीमा और विस्तार के अक्षांश-देशांतर के निर्देशांक

क्र. सं. (मानचित्र आई डी)	अक्षांश	देशांतर
1	24˚22' 43.789" उ	84˚56' 18.841" पू
2	24˚24' 26.998" उ	84˚58' 2.050" पू
3	24˚25' 36.367" उ	85˚0' 42.785" पू
4	24˚25' 32.984" उ	85˚1' 45.387" पू
5	24˚26' 25.434" उ	85˚2' 25.994" पू
6	24˚26' 10.206" उ	85˚5' 16.881" पू
7	24˚28' 40.790" उ	85˚5' 43.952" पू
8	24˚27' 12.809" उ	85˚7' 0.090" पू

9	24˚27' 55.107" उ	85˚8' 12.844" पू
10	24˚30' 2.004" उ	85˚10' 36.660" पू
11	24˚31' 43.521" उ	85˚12' 24.944" पू
12	24˚30' 56.146" उ	85˚14' 6.461" पू
13	24˚32' 10.592" उ	85˚15' 0.604" पू
14	24˚30' 13.847" उ	85˚16' 6.590" पू
15	24˚30' 51.070" उ	85˚16' 52.272" पू
16	24˚29' 24.781" उ	85˚17' 0.732" पू
17	24˚29' 26.473" उ	85˚15' 9.063" पू
18	24˚28' 15.411" उ	85˚14' 19.997" पू
19	24˚27' 41.572" उ	85˚13' 37.698" पू
20	24˚27' 36.496" उ	85˚11' 59.565" पू
21	24˚27' 11.117" उ	85˚9' 13.754" पू
22	24˚25' 14.372" उ	85˚10' 38.351" पू
23	24˚22' 28.561" उ	85˚6' 4.256" पू
24	24˚22' 43.789" उ	85˚4' 24.431" पू
25	24˚25' 56.671" उ	85˚4' 46.426" पू
26	24˚24' 23.614" उ	85˚3' 45.516" पू
27	24˚24' 47.301" उ	85˚2' 12.459" पू
28	24˚23' 43.007" उ	84˚59' 52.027" पू
29	24˚22' 26.869" उ	84˚58' 34.197" पू

उपाबंध II-ख

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गया, बिहार के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा और विस्तार के अक्षांश-देशांतर के निर्देशांक

क्र. सं. (मानचित्र आई डी)	अक्षांश	देशांतर
1	24°22' 47.069" उ	84°56' 14.729" पू
2	24°22' 23.850" उ	84°54' 59.809" पू
3	24°22' 20.937" उ	84°54' 21.992" पू
4	24°22' 31.855" उ	84°54' 6.403" पू
5	24°23' 50.544" उ	84°55' 35.286" पू
6	24°24' 5.978" उ	84°56' 20.108" पू
7	24°23' 28.639" उ	84°56' 38.582" पू

IndiaCode

8	24°23' 47.399" उ	84°57' 14.435" पू
9	24°24' 22.996" उ	84°57' 1.841" पू
10	24°24' 55.425" उ	84°56' 58.003" पू
11	24°25' 16.439" उ	84°57' 32.155" पू
12	24°25' 52.150" उ	84°57' 53.497" पू
13	24°25' 14.416" उ	84°58' 56.038" पू
14	24°26' 41.147" उ	84°57' 53.902" पू
15	24°27' 25.716" उ	84°58' 16.349" पू
16	24°26' 35.825" उ	84°59' 28.618" पू
17	24°27' 12.243" उ	84°59' 48.232" पू
18	24°27' 12.897" उ	85°2' 30.245" पू
19	24°28' 11.921" उ	85°2' 43.287" पू
20	24°28' 12.652" उ	85°4' 11.920" पू
21	24°28' 39.504" उ	85°4' 16.854" पू
22	24°28' 28.688" उ	85°4' 51.280" पू
23	24°30' 46.658" उ	85°5' 0.230" पू
24	24°30' 1.906" उ	85°8' 24.213" पू
25	24°31' 35.474" उ	85°10' 8.051" पू
26	24°33' 0.336" उ	85°10' 54.949" पू
27	24°33' 52.263" उ	85°10' 35.979" पू
28	24°32' 21.856" उ	85°13' 28.173" पू
29	24°33' 29.919" उ	85°14' 52.123" पू
30	24°32' 14.960" उ	85°15' 21.021" पू
31	24°32' 28.187" उ	85°16' 51.274" पू
32	24°31' 39.340" उ	85°19' 5.779" पू
33	24°31' 14.964" उ	85°19' 4.156" पू
34	24°30' 49.464" उ	85°16' 49.766" पू
35	24°25' 56.820" उ	85°4' 46.973" पू
36	24°30' 11.604" उ	85°16' 33.791" पू
37	24°30' 45.183" उ	85°13' 11.632" पू
38	24°30' 9.548" उ	85°11' 9.651" पू
39	24°28' 4.826" उ	85°9' 2.188" पू

IndiaCode

40	24°27' 12.745" उ	85°6' 54.040" पू
41	24°26' 11.069" उ	85°5' 22.212" पू
42	24°25' 34.063" उ	85°1' 41.550" पू
43	24°23' 12.210" उ	84°57' 18.401" पू

उपाबंध III-क

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गया, बिहार के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची (अक्षांश देशांतर निर्देशांकों के साथ)

क्र. सं.	ग्राम	राजस्व खंड	अक्षांश	देशांतर
1	खोरिया	बाराचट्टी	24° 24' 6.609" उ	84° 57' 28.455" पू
2	कोनिया	बाराचट्टी	24° 29' 6.990" उ	85° 7' 44.119" पू
3	जयगीर	बाराचट्टी	24° 27' 33.271" उ	85° 4' 3.409" पू
4	मासौधा	मोहनपुर	24° 29' 17.166" उ	85° 8' 59.459" पू
5	मतगरहा	मोहनपुर	24° 30' 49.585" उ	85° 10' 25.479" पू
6	केवाला	मोहनपुर	24° 32' 24.684" उ	85° 11' 18.818" पू
7	कुंभी	बाराचट्टी	24° 22' 59.452" उ	84° 55' 18.158" पू
8	पोखरिया	बाराचट्टी	24° 23' 43.035" उ	84° 56' 7.262" पू
9	लरौइटरी	बाराचट्टी	24° 23' 3.999" उ	84° 56' 29.979" पू
10	पुरनी धानगनदिन	बाराचट्टी	24° 23' 21.822" उ	84° 56' 41.841" पू
11	नवादीह	बाराचट्टी	24° 23' 23.959" उ	284° 57' 4.116" पू
12	मुनर पारा	बाराचट्टी	24° 23' 34.494" उ	84° 57' 17.865" पू
13	सोनही जमजौर	बाराचट्टी	24° 24' 59.508" उ	84° 58' 5.223" पू
14	खजुरैन	बाराचट्टी	24° 26' 34.282" उ	85° 2' 3.341" पू
15	कदाल	बाराचट्टी	24° 26' 6.444" उ	85° 0' 20.756" पू
16	चौरदाहा	बाराचट्टी	24° 26' 18.981" उ	84° 58' 48.233" पू
17	बुमेर	बाराचट्टी	24° 27' 18.513" उ	85° 2' 56.526" पू
18	गुलर बेड	बाराचट्टी	24° 26' 52.224" उ	85° 1' 29.176" पू
19	गोबरिया	बाराचट्टी	24° 27' 14.888" उ	85° 4' 7.829" पू
20	सोमीया	बाराचट्टी	24° 27' 52.661" उ	85° 5' 15.879" पू
21	बरनदीह	बाराचट्टी	24° 28' 35.176" उ	85° 7' 12.932" पू

IndiaCode

22	खाजुराही	बाराचट्टी	24° 29' 41.931" उ	85° 5' 4.089" पू
23	बारावादीह	बाराचट्टी	24° 29' 12.097" उ	85° 6' 16.076" पू
24	इरगीर	मोहनपुर	24° 28' 16.544" उ	85° 8' 31.567" पू
25	बरदाग	मोहनपुर	24° 32' 19.351" उ	85° 12' 57.685" पू
26	नौदीहा	फतेहपुर	24° 32' 25.611" उ	85° 14' 19.905" पू
27	नावादीह	फतेहपुर	24° 30' 20.764" उ	85° 8' 54.452" पू
28	तेनगैनी	फतेहपुर	24° 30' 41.831" उ	85° 16' 23.370" पू
29	बागै	फतेहपुर	24° 31' 12.059" उ	85° 16' 34.903" पू
30	रेनगैनी	फतेहपुर	24° 30' 59.954" उ	85° 15' 47.340" पू
31	हारा कुराहा	फतेहपुर	24° 31' 34.952" उ	85° 14' 21.594" पू
32	रेहार	फतेहपुर	24° 31' 56.416" उ	85° 15' 34.135" पू
33	दुनदु	फतेहपुर	24° 31' 52.435" उ	85° 17' 27.298" पू
34	झुरंग	फतेहपुर	24° 31' 38.789" उ	85° 13' 38.305" पू
35	अमातारी	फतेहपुर	24° 32' 30.267" उ	85° 12' 24.476" पू
36	भालौनी	फतेहपुर	24° 32' 49.907" उ	85° 14' 53.944" पू
37	माझहला कलां	फतेहपुर	24° 32' 24.682" उ	85° 15' 1.994" पू

उपाबंध III-ख

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गया, बिहार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र विवरण (एन्क्लेव ग्रामों सहित) के साथ ग्रामों की सूची

क्र.स.	ग्राम के नाम	राजस्व खंड	थाना सं.	क्षेत्र विवरण (हेक्टेयर में)			
				ग्रामों के क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अभयारण्य के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	पारिस्थितिक संवेदी जोन में क्षेत्र	
						संरक्षित वन (हेक्टेयर में)	गैर वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
ग्रामों के चारों ओर							
1	खोरिया	बाराचट्टी	257	173.28	0	0	173.28
2	कोनिया	बाराचट्टी	332	123	0	107.9	15.1
3	जयगीर	बाराचट्टी	285	1303	1063.17	0	239.83
4	मासौधा	मोहनपुर	652	1587	746.02	769.78	71.2
5	मतगरहा	मोहनपुर	650	1070	455.24	416.13	198.63

6	केवाला	मोहनपुर	646	2369	938.91	938.92	491.17
7	कुंभी	बाराचट्टी	244	516	0	434	82
8	पोखरिया	बाराचट्टी	248	126	0	31.03	94.97
9	लरौइटरी	बाराचट्टी	246	18	0	4.2	13.8
10	पुरनी धानगनदिन	बाराचट्टी	247	35	0	14	21
11	नवादीह	बाराचट्टी	255	68	18	50	68
12	मुनर पारा	बाराचट्टी	256	7.90	0.00	0	7.9
13	सोनही जमजौर	बाराचट्टी	262	718	0	158.33	559.67
14	खजुरैन	बाराचट्टी	282	267	0	185.6	81.4
15	कदाल	बाराचट्टी	261	1162	0	886.29	275.71
16	चौरदाहा	बाराचट्टी	267	618	0	131.5	486.5
17	बुमेर	बाराचट्टी	281	391	0	134.5	256.5
18	गुलर बेड	बाराचट्टी	279	108	0	56.36	51.64
19	गोबरिया	बाराचट्टी	286	70	0	15.01	54.99
20	सोमीया	बाराचट्टी	308	662	0	556.56	105.44
21	बरनदीह	बाराचट्टी	328	975	0	862.01	112.99
22	खाजुराही	बाराचट्टी	345	453	0	438.05	14.95
23	बारावादीह	बाराचट्टी	327	418	0	270.91	147.09
24	इरगीर	मोहनपुर	331	128.51	0	128.51	0
25	बरदाग	मोहनपुर	643	298	0	106.07	191.93
26	नौदीहा	फतेहपुर		152.7	0	0	152.7
27	नावादीह	मोहनपुर	651	358	0	0	358
28	तेनगैनी	फतेहपुर	659	134	0	105.35	28.65
29	बागै	फतेहपुर	660	117	0	42.22	74.78
30	रेनगैनी	फतेहपुर	661	265	0	169.43	95.57
31	हारा कुराहा	फतेहपुर	640	136	0	56.49	79.51
32	रेहार	फतेहपुर	662	92.9	0	92.9	0
33	दुनदु	फतेहपुर	663	860	0	667.66	192.34
34	झुरंग	फतेहपुर	641	495	0	326.45	168.55
35	अमातारी	फतेहपुर	644	245	0	87.65	157.35

IndiaCode

36	भालौनी	फतेहपुर	638	156	0	0	156
37	माझहला कलां	फतेहपुर	637	74	0	0	74
एन्क्लेव ग्रामों							
38	बरकी छनपी	बाराचट्टी	312	372	283.18	0	88.82
39	भलुआचट्टी	बाराचट्टी	329	250	195.5	0	54.5
40	चैथिया	बाराचट्टी	323	155	113.27	0	41.73
41	छोटकी छनपी	बाराचट्टी	313	268	216.3	0	51.7
42	दंग	बाराचट्टी	315	129	64.32	0	64.68
43	दौत	बाराचट्टी	326	874.31	856.59	0	17.72
44	गोही	बाराचट्टी	283	579	523.27	0	55.73
44	हरनही	बाराचट्टी	310	150	80.51	0	69.49
45	नारे	बाराचट्टी	284	365	305.98	0	59.02
46	पिपरही	बाराचट्टी	309	384	321.78	0	62.22
47	शंखवा	बाराचट्टी	314	305	231.98	0	73.02
48	सिसितरी सलोट	बाराचट्टी	311	499	415.41	0	83.59
49	तेतरिया	बाराचट्टी	322	422	350.01	0	71.99
50	तीले तनर	बाराचट्टी	258	838	758	0	80
51	छोनरही	फतेहपुर	658	188	91.18	0	96.82
52	दीब्बोबसरे	फतेहपुर	655	676	626.33	0	49.67
53	मोचरख	फतेहपुर	656	858	708.11	0	149.89
54	सारने	फतेहपुर	657	241	200.62	0	40.38
55	बैजनाथपुर	मोहनपुर	330	166	107.52	0	58.48
56	कदरछुनवा	मोहनपुर	642	279	227.44	0	51.56
57	नवदिह	मोहनपुर	333	54	0	23.55	30.45
					कुल-योग	8235.36	6689.11

पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल क्षेत्र	i. संरक्षित वन - 8235.36 हेक्टे. ii. गैर-वन क्षेत्र - 6689.11 हेक्टे.
	=14924.47 हेक्टे. या 14925 हेक्टे. या 149.25 वर्ग किलोमीटर

IndiaCode

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारिख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2017

S.O. 2200(E).—Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1361 (E), dated the 8th April, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public; and the copies of the said Gazette were made available to the public on the dated the 26th April, 2016; and the objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

WHEREAS, the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary, situated in Gaya District of Bihar and Koderma and Chatra Districts of Jharkhand is spread over an area of 259.46 square kilometres (138.33 square kilometres in Gaya District in State of Bihar whose Latitude-Longitude coordinates of the extent and boundary are appended in ANNEXURE II);

AND WHEREAS, due to contiguous wildlife sanctuary between two States of Jharkhand and Bihar; Jharkhand State will require to propose an Eco-sensitive Zone which is in continuity with the one proposed by Bihar State;

AND WHEREAS, the same is ecologically significant and known for wildlife; the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary;

AND WHEREAS, Leopard (*Panthera leo*), Sloth Bear (*Melurus ursinus)*, Cheetal (*Axis axis)*, Sambar (*Cervous unicolor)*, Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus)*, Wild Boar (*Sus scrofa*), Hyena (*Hynidae spp.)*, Fox (*Vulpes* vulpes), Jackal (*Canis aureus*), Wolf (*Canis lupus*), Jungle fowl (*Gallus gallus)*, Python (*Pythonidae*) etc., vulnerable or endangered species inhabit this sanctuary;

AND WHEREAS, important flora of the Sanctuary include Khair (*Acacia catechu*), Bel (*Angle marmelos*), Kale siris (*Albizia lebbeck*), Pair (*Bauhinia racemosa*), Palas (*Butea monosperma*), Amaltas (*Cassia fistula*), Black Sisoo (*Dalbergia latifolia*), Pecpal (*Ficus benghalensis*), Kankar (*Garuga pinnata*), Rohini (*Mallotus philippensis*), Tikul (*Mitragyna parvifolia*), Karanj (*Pongamia pinnata*), Cal (*Shorea robusta*), Arjun (*Terminalia arjuna*), Bahera (*Terminalia bellirica*), Asan (*Terminalia tomentosa*), Jungli Khajur (*Phoenix acaulis*), Sindwar (*Vitex negundo*), Datura (*Datura metel*), Shatawar (Asparagus racemosus);

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent varying from zero to 4.0 kilometers around the boundary of the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary in the State of Bihar as the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The area of Eco-sensitive Zone shall be 149.25 square kilometres with an extent varying from zero to 4.0 kilometers around the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary in the State of Bihar.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure - I.

(3) The Geo co-ordinates of boundary of the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary, in the State of Bihar and the Eco-sensitive Zone are appended **as Annexure- IIA and Annexure - IIB.**

(4) The list of 37 surrounding villages situated in the Eco-sensitive Zone with the respective Geo co-ordinates is appended as **Annexure – III A** and the list of 57 villages including 20 enclave villages of the sanctuary with area statement of the same is appended as **Annexure III B.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Animal and Fishery Resources;

(ix) Water Resources (Irrigation);

(x) Public Works (Road Construction); and

(xi) Bihar State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

IndiaCode

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** (a) The State Government shall not allow renewal of mines adjacent to the protected area in the direction of west, North-West and West-Southern and after their closer, plan to be drawn for development of Bio-diversity Park.

(b) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as;-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under para 7:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(c) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-** (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of the Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the8th April, 2016 .

(ii) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(iii) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:-

(i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular Pollution.**- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(13) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(14) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(15) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted activities.-**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying, brick-kiln, soil excavation, sand mining and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board classification including agro-based small scale industries will be regulated as per regulations.
3.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Fishing by mechanical means.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of natural slopes and river banks.	No construction activity except for bona fide needs for local residents shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also up to 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
Regulated Activities		
11.	Commercial Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.

		Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Construction and operation of new railway tracks of Dedicated Freight Corridor of the Indian Railways through the sanctuary and its Eco-sensitive Zone.	Shall be contingent upon permissions under the Wildlife (Protection) Act 1972 and the Environment (Protection) Act, 1986 and subject to mitigation, compensatory measures and conditions imposed there under.
14.	Small scale industries not causing pollution.	Non- polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
16.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
17.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
18.	Use of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
20.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
21.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
22.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made there under. (c) In case of reserve forests and protected forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
24.	Construction of ropeways.	Regulated under applicable laws.
25.	Erection of electrical cables, Transmission lines and telecommunication towers.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling.
26.	Setting up of security camps.	Regulated under applicable laws.
27.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract, etc.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
28.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
29.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites,	Regulated under applicable law

	etc.	
30.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
32.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
33.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
34.	Collection of small fodder and other non timber forest produce.	Regulated under applicable laws.
35.	Migratory Grazing.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
40.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
44.	Water conservation measures.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(i)	Divisional Commissioner, Gaya	-	Chairperson;
(ii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar for a term for a period of three years	-	Member;
(iii)	One representative of non-Governmental organisation (Working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period of three years	-	Member;
(iv)	Representative of Department of Revenue	-	Member;
(v)	Representative of Department of Agriculture	-	Member;
(vi)	Representative of Department of Animal and Fishery Resources	-	Member;
(vii)	Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board	-	Member;
(viii)	Member State Biodiversity Board		Member;
(ix)	Divisional Forest Officer, Gaya (Wildlife Warden I/C, Gautam Buddha WLS)-	-	Member-Secretary.

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the monitoring committee shall be for three years from the date of publication of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and

referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Government as per proforma appended at **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

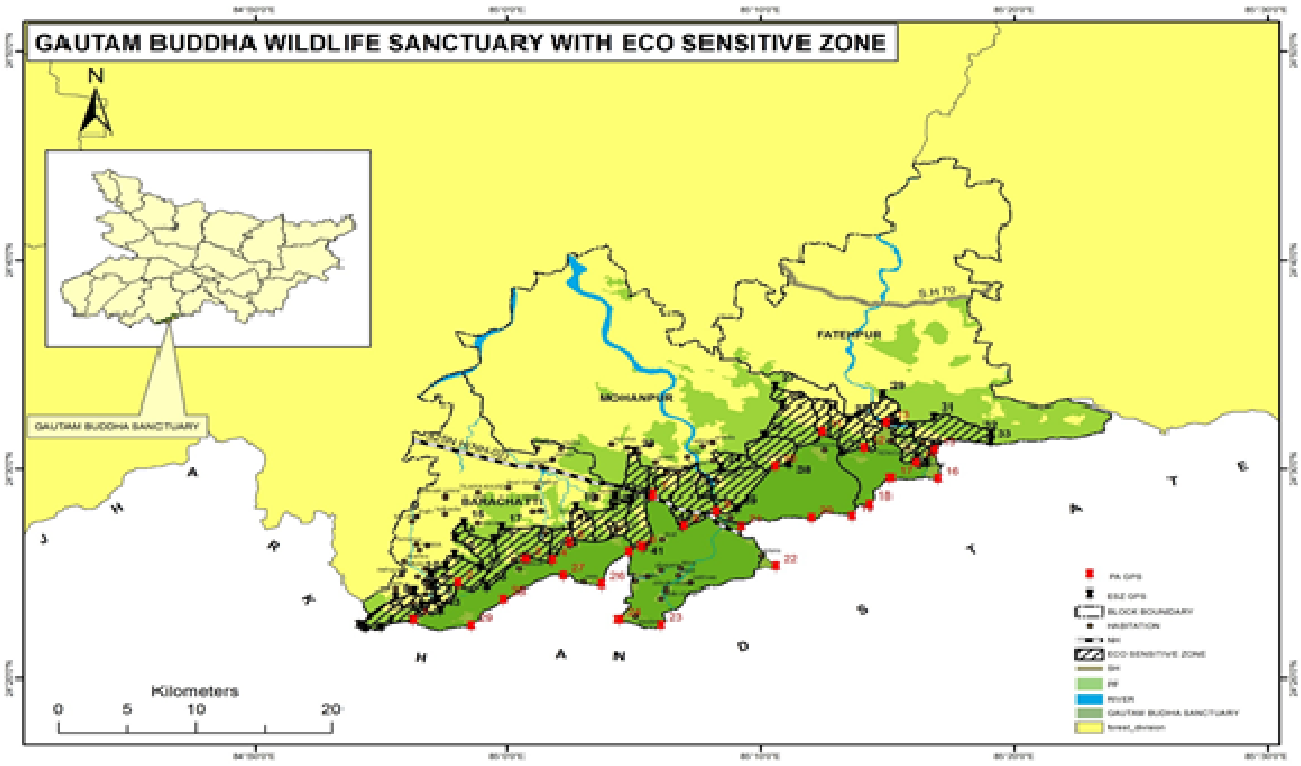
[F. No. 25/199/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GAUTAM BUDDHA WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE II-A

A. LATITUDE-LONGITUDE COORDINATES OF EXTENT AND BOUNDARY OF GAUTAM BUDHHA WILDLIFE SANCTUARY, GAYA, BIHAR

S. N. (Map Id)	Latitude	Longitude
1	24˚22' 43.789" N	84˚56' 18.841" E
2	24˚24' 26.998" N	84˚58' 2.050" E
3	24˚25' 36.367" N	85˚0' 42.785" E
4	24˚25' 32.984" N	85˚1' 45.387" E
5	24˚26' 25.434" N	85˚2' 25.994" E
6	24˚26' 10.206" N	85˚5' 16.881" E
7	24˚28' 40.790" N	85˚5' 43.952" E
8	24˚27' 12.809" N	85˚7' 0.090" E
9	24˚27' 55.107" N	85˚8' 12.844" E
10	24˚30' 2.004" N	85˚10' 36.660" E
11	24˚31' 43.521" N	85˚12' 24.944" E
12	24˚30' 56.146" N	85˚14' 6.461" E
13	24˚32' 10.592" N	85˚15' 0.604" E
14	24˚30' 13.847" N	85˚16' 6.590" E
15	24˚30' 51.070" N	85˚16' 52.272" E
16	24˚29' 24.781" N	85˚17' 0.732" E
17	24˚29' 26.473" N	85˚15' 9.063" E
18	24˚28' 15.411" N	85˚14' 19.997" E
19	24˚27' 41.572" N	85˚13' 37.698" E
20	24˚27' 36.496" N	85˚11' 59.565" E
21	24˚27' 11.117" N	85˚9' 13.754" E
22	24˚25' 14.372" N	85˚10' 38.351" E
23	24˚22' 28.561" N	85˚6' 4.256" E
24	24˚22' 43.789" N	85˚4' 24.431" E
25	24˚25' 56.671" N	85˚4' 46.426" E
26	24˚24' 23.614" N	85˚3' 45.516" E
27	24˚24' 47.301" N	85˚2' 12.459" E
28	24˚23' 43.007" N	84˚59' 52.027" E
29	24˚22' 26.869" N	84˚58' 34.197" E

IndiaCode

ANNEXURE II-B

LATITUDE-LONGITUDE COORDINATES OF EXTENT AND BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GAUTAM BUDHHA WILDLIFE SANCTUARY, GAYA

Sr. N.(Map Id)	LATITUDE	LONGITUDE
1	24°22' 47.069" N	84°56' 14.729" E
2	24°22' 23.850" N	84°54' 59.809" E
3	24°22' 20.937" N	84°54' 21.992" E
4	24°22' 31.855" N	84°54' 6.403" E
5	24°23' 50.544" N	84°55' 35.286" E
6	24°24' 5.978" N	84°56' 20.108" E
7	24°23' 28.639" N	84°56' 38.582" E
8	24°23' 47.399" N	84°57' 14.435" E
9	24°24' 22.996" N	84°57' 1.841" E
10	24°24' 55.425" N	84°56' 58.003" E
11	24°25' 16.439" N	84°57' 32.155" E
12	24°25' 52.150" N	84°57' 53.497" E
13	24°25' 14.416" N	84°58' 56.038" E
14	24°26' 41.147" N	84°57' 53.902" E
15	24°27' 25.716" N	84°58' 16.349" E
16	24°26' 35.825" N	84°59' 28.618" E
17	24°27' 12.243" N	84°59' 48.232" E
18	24°27' 12.897" N	85°2' 30.245" E
19	24°28' 11.921" N	85°2' 43.287" E
20	24°28' 12.652" N	85°4' 11.920" E
21	24°28' 39.504" N	85°4' 16.854" E
22	24°28' 28.688" N	85°4' 51.280" E
23	24°30' 46.658" N	85°5' 0.230" E
24	24°30' 1.906" N	85°8' 24.213" E
25	24°31' 35.474" N	85°10' 8.051" E
26	24°33' 0.336" N	85°10' 54.949" E
27	24°33' 52.263" N	85°10' 35.979" E
28	24°32' 21.856" N	85°13' 28.173" E
29	24°33' 29.919" N	85°14' 52.123" E
30	24°32' 14.960" N	85°15' 21.021" E
31	24°32' 28.187" N	85°16' 51.274" E

IndiaCode

32	24°31' 39.340" N	85°19' 5.779" E
33	24°31' 14.964" N	85°19' 4.156" E
34	24°30' 49.464" N	85°16' 49.766" E
35	24°25' 56.820" N	85°4' 46.973" E
36	24°30' 11.604" N	85°16' 33.791" E
37	24°30' 45.183" N	85°13' 11.632" E
38	24°30' 9.548" N	85°11' 9.651" E
39	24°28' 4.826" N	85°9' 2.188" E
40	24°27' 12.745" N	85°6' 54.040" E
41	24°26' 11.069" N	85°5' 22.212" E
42	24°25' 34.063" N	85°1' 41.550" E
43	24°23' 12.210" N	84°57' 18.401" E

ANNEXURE III A

LIST OF VILLAGES (WITH LATITUDE-LONGITUDE COORDINATES) IN THE ECO-SENSITRIVE ZONE AROUND GAUTAM BUDDHA WILDLIFE SANCTUARY, GAYA, BIHAR

Sr. No.	Village	Revenue Block	Latitude	Longitude
1	Khorya	Barachatti	24° 24' 6.609" N	84° 57' 28.455" E
2	Konia	Barachatti	24° 29' 6.990" N	85° 7' 44.119" E
3	Jaigir	Barachatti	24° 27' 33.271" N	85° 4' 3.409" E
4	Masaundha	Mohanpur	24° 29' 17.166" N	85° 8' 59.459" E
5	Matgarha	Mohanpur	24° 30' 49.585" N	85° 10' 25.479" E
6	Kewala	Mohanpur	24° 32' 24.684" N	85° 11' 18.818" E
7	Kumbhi	Barachatti	24° 22' 59.452" N	84° 55' 18.158" E
8	Pokhariya	Barachatti	24° 23' 43.035" N	84° 56' 7.262" E
9	Laruitari	Barachatti	24° 23' 3.999" N	84° 56' 29.979" E
10	Purni Dhanganin	Barachatti	24° 23' 21.822" N	84° 56' 41.841" E
11	Nawadih	Barachatti	24° 23' 23.959" N	284° 57' 4.116" E
12	Maurpara	Barachatti	24° 23' 34.494" N	84° 57' 17.865" E
13	Sonhi Jamjor	Barachatti	24° 24' 59.508" N	84° 58' 5.223" E
14	Khajurain	Barachatti	24° 26' 34.282" N	85° 2' 3.341" E
15	Kadal	Barachatti	24° 26' 6.444" N	85° 0' 20.756" E
16	Chordaha	Barachatti	24° 26' 18.981" N	84° 58' 48.233" E
17	Bumer	Barachatti	24° 27' 18.513" N	85° 2' 56.526" E
18	Gular Bed	Barachatti	24° 26' 52.224" N	85° 1' 29.176" E

India Code

19	Gobariya	Barachatti	24° 27' 14.888" N	85° 4' 7.829" E
20	Somea	Barachatti	24° 27' 52.661" N	85° 5' 15.879" E
21	Barandih	Barachatti	24° 28' 35.176" N	85° 7' 12.932" E
22	Khajurahi	Barachatti	24° 29' 41.931" N	85° 5' 4.089" E
23	Barawadih	Barachatti	24° 29' 12.097" N	85° 6' 16.076" E
24	Ergir	Mohanpur	24° 28' 16.544" N	85° 8' 31.567" E
25	Bardag	Mohanpur	24° 32' 19.351" N	85° 12' 57.685" E
26	Naudiha	Fatehpur	24° 32' 25.611" N	85° 14' 19.905" E
27	Nawadih	Fatehpur	24° 30' 20.764" N	85° 8' 54.452" E
28	Tengaini	Fatehpur	24° 30' 41.831" N	85° 16' 23.370" E
29	Bagai	Fatehpur	24° 31' 12.059" N	85° 16' 34.903" E
30	Rengaini	Fatehpur	24° 30' 59.954" N	85° 15' 47.340" E
31	Hara Kuraha	Fatehpur	24° 31' 34.952" N	85° 14' 21.594" E
32	Rehar	Fatehpur	24° 31' 56.416" N	85° 15' 34.135" E
33	Dundu	Fatehpur	24° 31' 52.435" N	85° 17' 27.298" E
34	Jhurang	Fatehpur	24° 31' 38.789" N	85° 13' 38.305" E
35	Amatari	Fatehpur	24° 32' 30.267" N	85° 12' 24.476" E
36	Bhaluani	Fatehpur	24° 32' 49.907" N	85° 14' 53.944" E
37	Majhla Kalan	Fatehpur	24° 32' 24.682" N	85° 15' 1.994" E

IndiaCode

ANNEXURE III B

LIST OF VILLAGES WITH AREA STATEMENT (INCLUDING ENCLAVE VILLAGES) FALLING IN THE GAUTAM BUDDHA WILDLIFE SANCTUARY, GAYA, BIHAR

SL. No.	Name of Village	Revenue Block	Thana No.	Area details (in ha.)			
				Area of villages (in ha.)	Area within sanctuary(in ha.)	Area in Eco-sensitive zone	
						Protected Forest (in ha.)	Non-forest area (in ha.)
Surrounding villages							
1	Khoriya	Barachatti	257	173.28	0	0	173.28
2	Konia	Barachatti	332	123	0	107.9	15.1
3	Jaigir	Barachatti	285	1303	1063.17	0	239.83
4	Masaundha	Mohanpur	652	1587	746.02	769.78	71.2
5	Matgarha	Mohanpur	650	1070	455.24	416.13	198.63
6	Kewala	Mohanpur	646	2369	938.91	938.92	491.17
7	Kumbhi	Barachatti	244	516	0	434	82
8	Pokharia	Barachatti	248	126	0	31.03	94.97

9	Laruitari	Barachatti	246	18	0	4.2	13.8
10	Purni dhangain	Barachatti	247	35	0	14	21
11	Nawadih	Barachatti	255	68	18	50	68
12	Maurpara	Barachatti	256	7.90	0.00	0	7.9
13	Sonhi Jamhor	Barachatti	262	718	0	158.33	559.67
14	Khajurain	Barachatti	282	267	0	185.6	81.4
15	Kadal	Barachatti	261	1162	0	886.29	275.71
16	Chordaha	Barachatti	267	618	0	131.5	486.5
17	Bumer	Barachatti	281	391	0	134.5	256.5
18	Gularbed	Barachatti	279	108	0	56.36	51.64
19	Gobaria	Barachatti	286	70	0	15.01	54.99
20	Somea	Barachatti	308	662	0	556.56	105.44
21	Barandih	Barachatti	328	975	0	862.01	112.99
22	Khajurahi	Barachatti	345	453	0	438.05	14.95
23	Barwadih	Barachatti	327	418	0	270.91	147.09
24	Ergir	Mohanpur	331	128.51	0	128.51	0
25	Bardag	Mohanpur	643	298	0	106.07	191.93
26	Naudiha	Fatehpur		152.7	0	0	152.7
27	Nawadih	Mohanpur	651	358	0	0	358
28	Tengaini	Fatehapur	659	134	0	105.35	28.65
29	Bagai	Fatehapur	660	117	0	42.22	74.78
30	Regaini	Fatehapur	661	265	0	169.43	95.57
31	Harakuraha	Fatehapur	640	136	0	56.49	79.51
32	Rehar	Fatehapur	662	92.9	0	92.9	0
33	Dundu	Fatehapur	663	860	0	667.66	192.34
34	Jhurang	Fatehapur	641	495	0	326.45	168.55
35	Amatari	Fatehapur	644	245	0	87.65	157.35
36	Bhaluwani	Fatehapur	638	156	0	0	156
37	Majhilakala	Fatehapur	637	74	0	0	74
Enclave villages							
38	Barki Chanpi	Barachatti	312	372	283.18	0	88.82
39	Bhaluachatti	Barachatti	329	250	195.5	0	54.5
40	Chaithiya	Barachatti	323	155	113.27	0	41.73
41	Chhotki chanpi	Barachatti	313	268	216.3	0	51.7
42	Dang	Barachatti	315	129	64.32	0	64.68
43	Doat	Barachatti	326	874.31	856.59	0	17.72
44	Gohi	Barachatti	283	579	523.27	0	55.73

IndiaCode

45	Harnahi	Barachatti	310	150	80.51	0	69.49
46	Nare	Barachatti	284	365	305.98	0	59.02
47	Piprahi	Barachatti	309	384	321.78	0	62.22
48	Shankhwa	Barachatti	314	305	231.98	0	73.02
49	Sisitari Salot	Barachatti	311	499	415.41	0	83.59
50	Tetaria	Barachatti	322	422	350.01	0	71.99
51	Tile tanr	Barachatti	258	838	758	0	80
52	Chonrhi	Fatehapur	658	188	91.18	0	96.82
53	Dibbobasare	Fatehapur	655	676	626.33	0	49.67
54	Mochrakh	Fatehapur	656	858	708.11	0	149.89
55	Sarne	Fatehapur	657	241	200.62	0	40.38
56	Baijnathpur	Mohanpur	330	166	107.52	0	58.48
57	Kadarchunwa	Mohanpur	642	279	227.44	0	51.56
58	Nawadih	Mohanpur	333	54	0	23.55	30.45
					Sub-total	8235.36	6689.11

Total Area of ESZ

i. Protected Forest - 8235.36 ha.

ii. None-Forest Area - 6689.11 ha.

=14924.47 ha.

Or 14925 ha or 149.25 sq. km.

IndiaCode

ANNEXURE-IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. [Attach minutes of the meeting as separate annexure].
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as separate annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006: Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006: Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.15 16:30:59 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.